न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबडी (नागौर)
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा,आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या : 83/2017

वादी :–
1--भंवरलाल उर्फ भंवराराम पुत्र छोगाराम
जाति मेघवाल निवासी अरनियाला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1--लालाराम गोदपुत्र हजारीराम जाति मेघवाल
2--गोगली पत्नि हजारीराम जाति मेघवाल (फोत) के का.मु.
2/1–केलकी पुत्री हजारीराम
2/2–माडूड़ी पुत्री हजारीराम
जातियान मेघवाल निवासीगण अरनियाला तहसील रियांबड़ी
3--शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा रियांबड़ी
4--तहसीलदार रियांबड़ी
5--पटवारी हलका अरनियाला

वकील वादी– श्री गणपतलाल माईच
वकील प्रतिवादीगण –श्री रामरतन डिडेल

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा,रेंकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय

दिनांकः–16.05.2018

वादी निम्नलिखित वाद पेश करते है:–

1–यह है कि मौजा अरनियाला की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 583/1 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा श्री हजारीराम पुत्र श्री मुगनाराम कौम भांबी निवासी अरनियाला की खातेदारी का काश्त व कब्जासुद था। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।

2–यह है कि खसरा नंबर 583 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा में सें रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि उक्त श्री हजारीराम ने जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 24.11.1993 का वादी को बेचान करके वादी को कब्ज सुपुर्द कर दिया। बेचाननामा व कब्जा काश्त के आधार पर वादी की खरीदसुदा भूमि 05 बीघा 05 बिस्वा भूमि का नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 21.8.1998 को वादी के हक में स्वीकृत किया जाकर वादी के हक में खातेदारी का ईन्द्रा किया गया। खसरा नंबर 583/1 रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा दर्ज किया गया। नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि साथ मे पेश है।

3–यह है कि अभी वर्तमान सेटलमेंट में खसरा नंबर 583 के नये खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर कायम कर उक्त खसरा की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी तथा वादी के नाम स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 727 का इन्द्राज जमाबंदी

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
केन्द्र अरनियाला
रियांबड़ी 2018

सम्वत् 2072–2075 में नहीं किया। जो महज एक लिपिकीय भूल है। जिसकी दुरूस्ती की जाना न्यायोचित है। उक्त खसरा को वाद में आगे वादग्रस्त खसरा के नाम से सम्बोधित किया गया है।

4–यह है कि इस प्रकार खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर में सें रकबा 0.84 हैक्टर भूमि वादी की खरीदसुदा खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा आई हुई है। तथा मौके पर खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर में सें रकबा 0.84 हैक्टर पर वादी का काश्त व कब्जा खरीद करने के दिन से लेकर आज दिन तक चला आ रहा है। जिससे मौजा अरनियाला की सरहद में खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर में सें रकबा 0.84 हैक्टर की खातेदारी वादी क नाम घोषित की जावें। इसी अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर में सें रकबा 0.84 हैक्टर पर वादी का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें।

5–यह है कि विवादित आराजी की खातेदारी अभी तक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम गलत रूप से दर्ज होने से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत में फर्क आ गया है और वादग्रस्त आराजी के किसी विशेष भू भाग को बेचान करने पर आमादा है। वादी को वादग्रस्त आराजी को बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए वादी का वाद घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी हुआ जो वाद पेश है।

6–यह है कि वादग्रस्त आराजी की खातेदारी अभी प्रतिवादीगण के नाम होने से प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को बेचान करने पर आमादा है और वादी को कब्जे काश्त से बेदखल करने पर उतारू है। वादी ने रेकार्ड दुरूस्त करने का कहा तो साफ इंकार हो गये। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन के जबाब हेतु तलब किया गया। वादी मय वकील तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 मय वकील के राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प अरनियाला में उपस्थित होकर अपना राजीनामा तथा जबाब दावा पेश किया गया। राजीनामा पढकर सुनाया गया,सुन समझ सही होना स्वीकार किया गया। बाद पहचान के राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील पक्षकारान ने बताया कि पक्षकारान सहमत है इसलिए वाद की इस्तदुआ के अनुसार वाद को डिकी कर दिया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजूद राजस्व रेकार्ड तथा राजीनामा व जबाब दावा का पर मनन किया गया। जिससे पाया गया कि जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2054–57 के अवलोकन से पाया गया कि प्रतिवादी संख्या 1 के गोदपिता ने खसरा नंबर 583 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा में सें 5 बीघा 05 बिस्वा का रजिस्टर्ड बेचान वादी को किया गया। जिसका नामान्तकरण संख्या 727 दिनांक 21.8.98 को वादी के नाम दर्ज हुआ। जो नामान्तकरण प्रतिलिपि से जाहिर होता है। वर्तमान सेटलमेंट में वादी की खरीदसुदा आराजी का नामान्तकरण पुनः संवत् 2072–75 की जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जो महज एक भूल प्रतीत होती है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इस बात को स्वीकार करते है। इसलिए सहमति भी लोक अदालत में पेश कर दी गई और वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद को अपने जबाब दावा में स्वीकार किया गया है।

अतः समस्त विवेचन से वादी का वाद जरिए सहमति के स्वीकार किया जाता है कि

"मौजा अरनियाला के खसरा नंबर 351 रकबा 1.6900 हैक्टर में सें रकबा 0.84 हैक्टर वादी के नाम बंट व खातेदारी की घोषित की जाती है। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कायम मुकाम को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के कब्जे काश्त में न तो स्वंय दखलदांजी करे व ना ही अन्य किन्हीं से करवावें।"

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
कैम्प अरनियाला
रियां बड़ी

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार बंटवारा कर वादी के नाम खातेदारी का ईन्द्राज राजस्व रेकार्ड में किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

नोटः–उपरोक्त खसरान में सें अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–अरनियाला

निर्णय आज दिनांक 16.05.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प अरनियाला में सुनाया गया ।

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
रियांबड़ी
राजस्व लोक अदालत
कैम्प–अरनियाला

2018